विधि (विधायी प्रारुपण) विभाग
(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 5, 2015

संख्या प. 2(41)विधि/2/2014.– राजस्थान राजभाषा अधिनियम 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2015 (एक्ट नं. 10 ऑफ 2015)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 10)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 अप्रेल, 2015 को प्राप्त हुई)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत होगा।

2. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 की धारा 17 का संशोधन.- राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम स. 38), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 17 में,-

(i) अन्त में आय हुए विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित धारा में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु फलों और सब्जियों पर कोई मण्डी फीस उद्ग्रहीत नहीं की जायेगी। इसके बजाय, मण्डी समिति, इन वस्तुओं के संबंध में, मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सेवाओं के लिए, उपज के क्रेता से ऐसी दर पर जो उप-विधियों में विनिर्दिष्ट की जाये, उपयोक्ता प्रभार संगृहीत कर सकेगी।"।

3. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 की धारा 37 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "व्यापार करने की शर्तों के लिए" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-विधियां बना सकेगी।" के पूर्व अभिव्यक्ति "और धारा 17 के परन्तुक के अधीन उद्ग्रहणीय उपयोक्ता प्रभारों की दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए" अन्त:स्थापित की जायेगी।

5/5/15

दीपक माहेश्वरी,
प्रमुख शासन सचिव।